

foHkxh; vf/kfu; eka dh I ph

| Ø | N-x- jkT; fof/k vk; kx jkjk mi yC/k djkbz xbz I ph ds vuq kj vf/kfu; e dk uke  | N-x- jkT; ea vuqdyu ds vf/kl ipuk Ø o fnukad | dk; l vkca/ufu; e ds vuq kj i z kkl dh; foHkx dk uke | vf/kfu; e dks ykxw j [kus ds I cak ea vkfpr; ds I kfk vflker  | fjekd;   |
|---|--|--|--|---|--|
| 1 | 2  | 3  | 4  | 5   | 6  |
| 1 | मध्यप्रदेश (छत्तीसगढ़) कपास ओटाई, दवाई कारखाना, अधिनियम, 1925 (एम.पी. छ.ग.) काटन जिनिंग एण्ड प्रेसिंग फेक्ट्रीज एक्ट, 1925 | विभाग द्वारा अनुकूलित नहीं                   | कृषि विभाग   | छत्तीसगढ़ राज्य में कपास ओटाई/ दवाई कारखाना नहीं है अतः आवश्यकता नहीं।  | छ.ग. में कपास का क्षेत्र नहीं अतः आवश्यक नहीं।   |
| 2 | मध्यप्रदेश (छत्तीसगढ़) कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972   | कृषि/14-3/2000/317 दिनांक 20 दिसम्बर, 2000   | कृषि विभाग   | राज्य में कृषि उपज के क्रय-विक्रय का अधिक अच्छा विनियमन करने के लिए तथा कृषि संबंधी मंडियों की स्थापना एवं उनके उचित प्रशासन के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम को प्रभावशील एवं लागू रखना आवश्यक है। | मंडी अधिनियम की कतिपय धाराओं में संशोधन का प्रस्ताव विभागीय स्तर पर विचाराधीन है जिस पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। |
| 3 | मध्यप्रदेश (छत्तीसगढ़) ट्रेक्टर द्वारा जोती गई भूमियों पर असुधार शुल्क अधिनियम, 1972                                       | कृषि/14-3/2000/317 दिनांक 20 दिसम्बर, 2000   | कृषि विभाग   |   | छ.ग. के परिपेक्ष्य में आवश्यक नहीं।  |
| 4 | मध्यप्रदेश (छत्तीसगढ़) गन्ना पूर्ति तथा खरीदी विनियम अधिनियम, 1958   | कृषि/14-3/2000/317 दिनांक 20 दिसम्बर, 2000   | कृषि विभाग   | यथावत रखा जाना उचित होगा।   |  |
| 5 | मध्यप्रदेश (छत्तीसगढ़) ट्रेक्टर द्वारा खेती (प्रभारों की वसूली) अधिनियम, 1972  | कृषि/14-3/2000/317 दिनांक 20 दिसम्बर, 2000   | कृषि विभाग   | यथावत रखा जाना उचित होगा।   |  |
| 6 | मध्यप्रदेश (छत्तीसगढ़) कृषि विनाशी कीट अधिनियम, 1972   | कृषि/14-3/2000/317 दिनांक 20 दिसम्बर, 2000   | कृषि विभाग   | यथावत रखा जाना उचित होगा।   |  |
| 7 | Relief of Agriculturist Debtors (Temporary Measures) Act(Central province and Berar Region) 1949                           | अनुकूलित नहीं                                | कृषि विभाग   | आवश्यकता नहीं   |  |
| 8 | Cotton Control Act, 1954   | अनुकूलित नहीं                                | कृषि विभाग   | आवश्यकता नहीं   |  |
| 9 | Debt Redemption Act (Bhopal  | अनुकूलित नहीं                                | कृषि विभाग   | आवश्यकता नहीं   |  |

|    |  |  |            |   |  |
|----|--|--|------------|---|--|
|    | Region) 1956   |  |            |   |  |
| 10 | Regulation of Weighment of Agricultural produce Act (Madhya Pradesh Region), 1956              | अनुकूलित नहीं                                    | कृषि विभाग | आवश्यकता नहीं   |  |
| 11 | Agricultural Debtors Relief Act (Madhya Bharat Region), 1956                                   | अनुकूलित नहीं                                    | कृषि विभाग | आवश्यकता नहीं   |  |
| 12 | Sugarcane (Regulation of supply and purchase) Act, 1959  | कृषि / 14-3 / 2000 / 317 दिनांक 20 दिसम्बर, 2000 | कृषि विभाग | शक्कर कारखाना हेतु गन्ना आपूर्ति एवं क्षेत्र आरक्षण हेतु आवश्यक है।   |  |
| 13 | Padat krishi bhumi ka krishikaran adhiniyam, 1966  | अनुकूलित नहीं                                    | कृषि विभाग |   | पशुधन विकास विभाग  |
| 14 | Tractor Dwara Kheti (Prabharon ki vasuli) Adhiniyam, 1973                                      | कृषि / 14-3 / 2000 / 317 दिनांक 20 दिसम्बर, 2000 | कृषि विभाग | यथावत रखा जाना उचित होगा।   |  |
| 15 | Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1973  | कृषि / 14-3 / 2000 / 317 दिनांक 20 दिसम्बर, 2000 | कृषि विभाग | राज्य में कृषि उपज के क्रय-विक्रय का अधिक अच्छा विनियमन करने के लिए तथा कृषि संबंधी मंडियों की स्थापना एवं उनके उचित प्रशासन के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम को प्रभावशील एवं लागू रखना आवश्यक है। | मंडी अधिनियम की कतिपय धाराओं में संशोधन का प्रस्ताव विभागीय स्तर पर विचाराधीन है जिस पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। |
| 16 | Vanaspati Rog Tatha Vinashi Kit Adhiniyam, 1973  | कृषि / 14-3 / 2000 / 317 दिनांक 20 दिसम्बर, 2000 | कृषि विभाग | यथावत रखा जाना प्रस्तावित   | कृषि विभाग   |
| 17 | Rajya Beej Avam Farm Vikas Nigam Adhiniyam 1980  | कृषि / 14-3 / 2000 / 317 दिनांक 20 दिसम्बर, 2000 | कृषि विभाग | छ.ग. में कम्पनी एक्ट के अंतर्गत बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. का गठन 2005 में हो गया है अतः अब आवश्यक नहीं।   | छ.ग. राज्य में अलग से बीज एवं कृषि विकास निगम गठित है। अतः आवश्यक नहीं।  |
| 18 | Jawra sugar mills tatha seth govidram sugar Mills (Upkram ka arjan aur antaran) adhiniyam 1984 | कृषि विभाग से संबंधित नहीं                       |            |   | छ.ग. के परिपेक्ष्य में आवश्यक नहीं   |

|    |   |  |            |                          |   |
|----|---|--|------------|--------------------------|---|
| 19 | मध्यप्रदेश कृषि सेवा (राजपत्रित) भर्ती नियम, 1966                               | अधिसूचना क्रमांक 49 दिनांक 29.12.2000 द्वारा अनुकूलित किया गया है। | कृषि विभाग |                          | नवगठित छ.ग. राज्य में छत्तीसगढ़ कृषि (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2011 दिनांक 17 जून, 2011 से प्रवृत्त                           |
| 20 | मध्यप्रदेश अधिनस्थ कृषि (अलिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 1972                   | अधिसूचना क्रमांक 49 दिनांक 29.12.2000 द्वारा अनुकूलित किया गया है। | कृषि विभाग |                          | नवगठित छ.ग. राज्य में छत्तीसगढ़ कृषि तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम 2010 दिनांक 16 जुलाई, 2010 से प्रवृत्त        |
| 21 | मध्यप्रदेश अधिनस्थ कृषि (लिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 1972                    | अधिसूचना क्रमांक 49 दिनांक 29.12.2000 द्वारा अनुकूलित किया गया है। | कृषि विभाग |                          | नवगठित छ.ग. राज्य में छत्तीसगढ़ अधिनस्थ कृषि तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम 2010 दिनांक 23 जुलाई, 2010 से प्रवृत्त |
| 22 | मध्यप्रदेश अधिनस्थ कृषि विभाग की स्थापना के चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 1978 | अधिसूचना क्रमांक 49 दिनांक 29.12.2000 द्वारा अनुकूलित किया गया है। | कृषि विभाग |                          | नवगठित छ.ग. राज्य में छत्तीसगढ़ कृषि सेवा भर्ती नियम 2010 दिनांक 30 जुलाई, 2010 से प्रवृत्त                                     |
| 23 | मध्यप्रदेश कृषि, उद्यानिकी (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1988                     | अधिसूचना क्रमांक 49 दिनांक 29.12.2000 द्वारा अनुकूलित किया गया है। | कृषि विभाग | लागू रखा जाना उचित होगा। | छत्तीसगढ़ उद्यानिकी (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2013 विभाग की अधिसूचना क्रमांक /एफ-3-7/ 2008/14-1 दिनांक 24.06.2013 से प्रवृत्त |

|    |  |  |            |                          |  |
|----|--|--|------------|--------------------------|--|
| 24 | मध्यप्रदेश कृषि, उद्यानिकी अराजपत्रित (अलिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम 1987 | अधिसूचना क्रमांक 49 दिनांक 29.12.2000 द्वारा अनुकूलित किया गया है। | कृषि विभाग | लागू रखा जाना उचित होगा। | छत्तीसगढ़ उद्यानिकी अराजपत्रित (अलिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम 2012 दिनांक 21.12.2012 एवं संशोधित दिनांक 26.05.2014 से प्रवृत्त            |
| 25 | मध्यप्रदेश कृषि, उद्यानिकी (लिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम 1987             | अधिसूचना क्रमांक 49 दिनांक 29.12.2000 द्वारा अनुकूलित किया गया है। | कृषि विभाग | लागू रखा जाना उचित होगा। | छ.ग. उद्यानिकी (लिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम 2012 दिनांक 26.11.2012 संशोधित दिनांक 24.6.2014 एवं संशोधित दिनांक अक्टूबर, 2014 से प्रवृत्त |
| 26 | मध्यप्रदेश कृषि, उद्यानिकी (चतुर्थ श्रेणी) सेवा भर्ती नियम 1988            | अधिसूचना क्रमांक 49 दिनांक 29.12.2000 द्वारा अनुकूलित किया गया है। | कृषि विभाग | लागू रखा जाना उचित होगा  | छ.ग. उद्यानिकी सेवा (चतुर्थ श्रेणी) भर्ती नियम 2012 से प्रवृत्त  |